संख्या-49/2021/1057/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1211/स0क0/एन0एन0ए0पी0/वृ0पे0यो0/ 2020-21, दिनांक-19.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-03-02-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **धनराशि रू0-29632.00 लाख (रूपये दो अरब छियानबे करोड़ बत्तीस लाख मात्र)** को अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- -2235-01-200-06-00-20 सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना की बचत रू0-2500.00 लाख, लेखाशीर्षक-2225-01-277-01-01-21 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना की बचत से रू0-25000.00 लाख, लेखाशीर्षक-2225-01-277-07-00-31 विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार योजना की बचत से रू0-1650.00 लाख, लेखाशीर्षक-2235-02-104-02-00-20 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना की बचत से रू0-320.00 लाख, लेखाशीर्षक- 2235-02-104- 06-00-20-वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन योजना की बचत से रू0-150.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-2235-02-800- 03-00-20 कश्मीर से आये व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता योजना की बचत से रू0-12.00 लाख की बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशांे का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-03-02-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0संख्या-49/2021/1057 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 80 राष्ट्रीय वृद्धावस्था /किसान पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग | वित्तीय वर्ष 2020-21 | (धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2235-02-200-06-00-20 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 200-अन्य कार्यक्रम 06-सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता 00- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5000.000	2500.000	2500.000	2500.000	2500.000
2225-01-277-01-01-21 2225-अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 01-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	25000.000	25000.000	25000.000	25000.000	0.000
2225-01-277-07-00-31 2225-अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा, 07- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वाचन पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना) 00- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	300.000 20299.760	150.000 1500.000	150.000 1500.000	150.000 1500.000	150.000 18799.760
2235-02-104-02-00-20 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 104-वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण 02-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु सैच्छिक संस्थाओं को सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5000.000	320.000	320.000	320.000	4680.000
2235-02-104-06-00-20 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण 104- वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण 06- वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	600.000	150.000	150.000	150.000	450.000
2235-01-800-03-00-20 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 01-पुनर्वास, 800-अन्य व्यय 03-कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	27.810	12.000	12.000	12.000	15.810
योग	56227.570	29632.000	29632.000	29632.000	26595.570

क्रमशः-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

[redacted]

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित सक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायगा

लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित सक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2235-60-102-03-02-20					
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102- समाज सुरक्षा योजनायों के अधीन पेंशन 03-वृद्धावस्था/ किसान पेंशन (राज्यांश) 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	89000.000	118632.000	29632.000	29632.000	118632.000
योग	89000.000	118632.000	29632.000	29632.000	118632.000

1 स्तम्भ-3 में उपलब्ध धनराशि का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में वर्णित वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

1 स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9 में प्रदर्शित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-योजना/अभिष्ठान के क्रियान्वयन किये जाने के कारण।

3 प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश कोष्ठ मैनुअल के प्रस्तर 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आरबई0-652/दस-2021, दिनांक-25 मार्च 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

राजेन्द्र राम
अनु सचिव
वित्त विभाग।
हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ०संख्या- 49 /2021/ 1057 (1)/ 26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सेवान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।